

SHARAD CONVENT EDUCATION SOCIETY (Regd.)

478/5, SAI NAGAR, MEETHAPUR EXTN., NEW DELHI - 110044 PH.: 26661885

Ref. No. SCBS-WR 2011-183

Director (Plg.) MPH/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 471
Dated. 15/11/11

Dated. 15/11/11

श्री कमलनाथ जी,

माननीय शहरी विकास मंत्री,

भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली

विषय :- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डाले जाने हेतु निवेदन पत्र।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन हैं। कि हमारी कालोनी साँई नगर, मीठापुर पार्ट -2 दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोरियों की सूची में साँई नगर-273 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (**O-Zone**) में रखा गया है। जोकि सरासर गलत है। जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग, यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहें इलाकें को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुरूप है।

हमारी कालोनी साँई नगर, मीठापुर -2/न0. 273 यमुना नदी से लगभग 6 किलो मीटर की दूरी पर हैं। व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं। हमारी कालोनी के बाद कुछ और कालोनियाँ है वं उसके बाद हरियाणा के गांव बसन्तपुर, ईस्मायलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ भी आती हैं व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेगें।

For Sharad Convent Education Society

आपका अपना
Gen. Secretary

विजय बहादुर सिंह (महा सचिव)

शरद कॉवेंट एजुकेशन सोसाइटी (रजि0)

B-478/5 साँईनगर, मीठापुर विस्तार
बदरपुर नई दिल्ली-44

प्रतिलिप:-

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2. माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3. माननीय निदेशक योजना एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4. माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5. माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6. श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7. श्री रामसिंह नेताजी माननी विधायक, बदरपुर विधान सभा क्षेत्र।